


कार्यालय-नजारत जनपद न्यायालय, जालौन स्थान उरई।
सूचना

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देशानुसार जनपद न्यायालय जालौन स्थान उरई में वर्तमान में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कुल 187 कर्मचारीगण के प्लास्टिक बायोमैट्रिक पहचान पत्र बनवाये जाने हैं।

अतः प्लास्टिक बायोमैट्रिक पहचान पत्र का निर्माण करने वाली पंजीकृत फर्मों से प्लास्टिक बायोमैट्रिक पहचान पत्र बनाने के सम्बन्ध में कोटेशन आमन्त्रित किये जाते हैं। कोटेशन दिनांक 20.05.2015 को समय सांय 04.00 बजे तक डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से नजारत अनुभाग जनपद न्यायालय जालौन स्थान उरई को प्रेषित/प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

यह सूचना जनपद न्यायालय जालौन स्थान उरई की वेबसाइट "ecourts.gov.in/jalaun" पर भी उपलब्ध है।

दिनांक:- 21-04-2015



(अनिल कुमार उपाध्याय)
प्रभारी/अधिकारी(नजारत)/
विशेष न्यायाधीश (ई0 सी0 एक्ट)
जनपद न्यायालय, जालौन

स्थान उरई।
प्रभारी अधिकारी
नजारत
जनपद न्यायालय
जालौन स्थान उरई

प्रतिलिपि सेवा में:-

1. कार्यालय जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
2. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, उरई को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
3. अधिशाषी अभियन्ता सा0नि0वि0, उरई को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
4. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जजशिप उरई को सूचना पट पर चस्पा करने हेतु।
5. दैनिक कर्मयुग प्रकाश उरई को निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
6. जनपद न्यायालय हमीरपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
7. जनपद न्यायालय कानपुर देहात के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
8. जनपद न्यायालय कानपुर शहर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
9. बाह्य स्थित न्यायालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
10. जनपद न्यायालय झांसी के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
11. जनपद न्यायालय ललितपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
12. जिला सूचना अधिकारी, जालौन स्थान उरई को निःशुल्क प्रचार प्रसार करवाने हेतु।
- ✓ 13. श्रीमान ओ0एस0डी0 (कम्प्यूटर्स) माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर सूचना को प्रदर्शित कराये जाने के अनुरोध सहित।

दिनांक:- 21-04-2015


(अनिल कुमार उपाध्याय)
प्रभारी/अधिकारी(नजारत)/
विशेष न्यायाधीश (ई0 सी0 एक्ट)
जनपद न्यायालय, जालौन

स्थान उरई।
प्रभारी अधिकारी
नजारत
जनपद न्यायालय
जालौन स्थान उरई